

अनुदान संख्या 36 – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 36 - INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत—
		Total grant or appropriation	Actual expenditure	Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
<i>प्रभारित—</i>	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i>	160,53,00		
			167,29,00	159,30,26
				-7,98,74
पूरक	<i>Supplementary</i>	6,76,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			3,95,00
स्वीकृत—	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	4453,59,00		
			4642,72,00	4618,83,09
				-23,88,91
पूरक	<i>Supplementary</i>	189,13,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
पूंजीगत:	Capital:			
<i>स्वीकृत—</i>	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	16,00,00		
			41,55,00	34,12,20
				-7,42,80
पूरक	<i>Supplementary</i>	25,55,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			1,50,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (₹798.74 लाख) दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹676.00 लाख के पूरक विनियोग से अधिक हो गईं, जो कुल

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹ 798.74 lakhs) exceeded the supplementary *appropriation* of

स्वीकृत विनियोग का 5 प्रतिशत थीं।

₹ 676.00 lakhs obtained in December, 2018 and constituted 5 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
लेखा परीक्षा	Audit			
मू.	O.	16053.00		
पू.	S.	676.00	16334.00	15930.26
पु.	R.	-395.00		-403.74

(I) "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक - मुख्यालय कार्यालय" - ₹15368.00 लाख के मूल विनियोग को ₹ 546.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15914.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹732.98 लाख की बचत हुई (पूरक विनियोग सहित) - वेतन के गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, विविध रिपोर्टों के मुद्रण के लिए कम दावों की प्राप्ति होने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न किए जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India - Headquarters Office" - the original appropriation of ₹15368.00 lakhs was augmented to ₹15914.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹546.00 lakhs. However, there was a saving of ₹732.98 lakhs (including supplementary appropriation) - due to requirement of less funds towards implementation of non-functional upgradation of pay, receipt of less claims for printing of various reports, non-completion of work by Central Public Works Department and economy measures.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹2388.91 लाख) जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹18913.00 लाख के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹2388.91 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grants of ₹18913.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2016" लेखापरीक्षा	Head Major Head "2016" Audit	
मू.	O.	445359.00
पू.	S.	18913.00

464272.00	461883.09	-2388.91
-----------	-----------	----------

(I) पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:—

(I) Supplementary grant obtained under the following heads remained wholly unutilized as shown against each: -

(का) "डाक और दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय" – ₹14938.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹274.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15212.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹799.95 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – वेतन के गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, कम स्टाफ की आउटसोर्सिंग होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Posts and Telecommunication Audit Offices – Field Offices" – the original provision of ₹14938.00 lakhs was augmented to ₹15212.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹274.00 lakhs. However, there was a saving of ₹799.95 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards implementation of non-functional upgradation of pay, outsourcing of less staff and economy measures.

(खा) "रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय" – ₹27590.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹268.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹27858.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2606.39 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – वेतन के गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Railway Audit Offices – Field Offices" – the original provision of ₹27590.00 lakhs was augmented to ₹27858.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹268.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2606.39 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards implementation of non-functional upgradation of pay.

(II) पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:—

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(का) “सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय – सिविल लेखा कार्यालय” – ₹148134.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3156.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹151290.00 लाख कर दिया गया। तथापि, जो ₹1652.36 लाख की सीमा तक वेतन के गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती किए जाने, यात्रा भत्ता से संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने, आउटसोर्सिंग के कम स्टाफ होने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न किए जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) “रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय” – ₹9798.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1034.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10832.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹104.31 लाख की सीमा तक वेतन के गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) “वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय” ₹17855.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1749.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹19604.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹191.46 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा – वेतन के गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, जल प्रभार की वजह से दावों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें “सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय – सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹3104.53 लाख का अधिक व्यय (₹12158.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹233403.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, अमरावती में बनाए गए नए कार्यालय में कार्यालय/आवासीय भवन के निर्माण की वजह से पट्टा प्रभार, यात्रा भत्ता संबंधित अधिक दावों की प्राप्ति

(A) “Civil Audit and Accounts Offices – Civil Accounts Offices” –the original provision of ₹148134.00 lakhs was augmented to ₹151290.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3156.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1652.36 lakhs – due to requirement of less funds towards implementation of non-functional upgradation of pay, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, receipt of less claims towards travelling allowance, outsourcing of less staff, non-completion of works by Central Public Works Department and economy measures.

(B) “Defence Audit Offices – Field Offices” - the original provision of ₹9798.00 lakhs was augmented to ₹10832.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1034.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹104.31 lakhs – due to requirement of less funds towards implementation of non-functional upgradation of pay.

(C) “Commercial Audit Offices – Field Offices” - the original provision of ₹17855.00 lakhs was augmented to ₹19604.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1749.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹191.46 lakhs – due to requirement of less funds towards implementation of non-functional upgradation of pay, non-finalisation of claims on account of water charges and economy measures.

3. The above savings were partly offset by excess under “Civil Audit and Accounts Offices – Civil Audit Offices” – excess of ₹3104.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹233403.00 lakhs including supplementary grant of ₹12158.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of non-functional upgradation of pay, lease charges on account of construction of office/residential building in newly

होने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹742.80 लाख) फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹2555.00 लाख के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"	
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing	
मू.	O.	800.00
पू.	S.	2555.00
पु.	R.	-300.00

(I) "सरकारी आवासीय भवन – भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय स्कीम – निर्मित तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण" – ₹800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2555.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3355.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न किए जाने के कारण ₹527.99 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

created office at Amravati and receipt of more claims towards travelling allowance and medical reimbursement.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹742.80 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grant of ₹2555.00 lakhs obtained in February, 2019 and 18 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
3055.00	2827.01	-227.99

(I) Under "Government Residential Buildings – Housing Scheme for employees of IA&AD – Acquisition of ready built flats" – the original provision of ₹800.00 lakhs was augmented to ₹3355.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2555.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹527.99 lakhs – due to non-completion of works by Central Public Works Department.